राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी, प्रत्यर्थी विभाग एवं प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम	आलोच्य आदेश दिनांक एवं अनुलग्नक
1.	5552/2022 (जोधपुर अपील संख्या 774/2022) योगेश उपाध्याय	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, जयपुर। 4. सुमित प्रकाश जैन, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नगर धौलपुर।	14.10.2022	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक, श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से श्री अशोक बंसल, अभिभाषक	10.10.2022 (अनुलग्नक–1)
2.	165/2023 योगेश उपाध्याय		10.01.2023		05.11.2022 (अनुलग्नक–1)

आदेश की दिनांक : 08.09.2023

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील संख्या 5552/2022 में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद पर श्री एम आर बोहरा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, वाटिका सांगानेर, जयपुर में पदस्थापित रखने के आदेश फरमाए जावें तथा अपील संख्या 165/2023 में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 05.11.2022 को निरस्त किया जाकर यथा स्थान प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रखने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 29.04.2022 को श्री एम आर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, वाटिका के लिए वाक इन इंटरव्यू के आधार पर प्रधानाचार्य के पद हेतु आवेदन मांगने पर अपीलार्थी द्वारा आवेदन किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का महात्मा गांधी विद्यालय में चयन करने के पश्चात् 4 वर्ष के लिए चयन किया तथा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 29.06.2022 के द्वारा अपीलार्थी को उक्त विद्यालय जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी को उक्त स्थान पर तीन माह की अल्पावधि में ही निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अनुचित रूप से समंजित करने के आशय से आलोच्य आदेश जारी किया गया है। पूर्व में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का आदेश दिनांक 07.08.2022 के द्वारा स्थानान्तरण राजकीय उच्च

माध्यमिक विद्यालय, विशाला दौसा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नगर धौलपुर में प्रधानाचार्य के पद पर स्थानान्तरण किया गया था, जिसकी पालना निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 ने दिनांक 23.09.2022 तक उक्त आदेश की पालना नहीं की तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 ने दिनांक 24.09.2022 को कार्यग्रहण किया। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के द्वारा कार्यग्रहण करने के बावजूद आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विशाला दौसा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नगर, धौलपुर में स्थानान्तरणाधीन मानते हुए अपीलार्थी के स्थान पर अनुचित रूप से समायोजित किया गया। जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 स्थानान्तरणाधीन नहीं था तथा बाद में भी विभाग द्वारा कोई संशोधन भी नहीं किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए स्थानान्तरणाधीन मानते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 के द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर स्थानान्तरण किया तथा अपीलार्थी को तीन माह की अल्पावधि में ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नगर, धौलपुर में स्थानान्तरण किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने रामेश्वर प्रसाद गुर्जर बनाम सरकार में अल्पावधि में किए गए स्थानान्तरण आदेश को अवैध एवं अनुचित माना है एवं अपीलार्थी का वाक इन इंटरव्यू के आधार पर चयन करने के पश्चात् पदस्थापन किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अशोक कुमार रतीलाल पटेल बनाम भारत सरकार में यह निर्धारित किया है कि किसी भी कार्मिक का वाक इन इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाता है तो वह निश्चित अवधि तक कार्य करने का अधिकारी है। अपीलार्थी को निश्चित अवधि से पूर्व ही स्थानान्तरण किया गया है, जो अवैध व अनुचित है तथा मनमाना एवं पक्षपातीपूर्ण है।

अतः उक्त आधारों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 को निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद पर श्री एम आर बोहरा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, वाटिका सांगानेर, जयपुर में पदस्थापित रखने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का नया स्थानान्तरण आदेश दिनांक 05.11.2022 जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपील संख्या 774/2022 जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 19.10.2022 पारित किया गया एवं नियमानुसार नया स्थानान्तरण आदेश पारित किए जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, जिसके क्रम में अपीलार्थी का नवीन स्थानान्तरण आदेश नियमानुसार जारी किया गया है। अपीलार्थी प्रधानाचार्य पद

धारित कार्मिक है, जिसका प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर राज्य में कहीं पर भी स्थानान्तरण किया जा सकता है। नवीन स्थानान्तरण आदेश नियमानुसार जारी किया गया है, जिसमें कोई दुर्भावना नहीं है तथा राज्य सरकार को यह अधिकार है कि किसी भी कार्मिक का कहीं पर भी स्थानान्तरण किया जा सकता है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान् अधिवक्ता ने उक्त अपील में लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से यह बहस की है कि उत्तरदाता को राज्य सरकार ने नियमानुसार अपीलार्थी के स्थान पर स्थानान्तरण किया है तथा अपीलार्थी का यह अधिकार नहीं है कि वह एक ही पद पर अधिकार स्वरूप पदस्थापित रह सके। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का आदेश दिनांक 29.06.2022 के द्वारा वाक इन इंटरव्यू के आधार पर चयन करने के पश्चात् प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, वाटिका, सांगानेर जयपुर में पदस्थापित किया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 04.07.2022 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी को 3 माह 6 दिवस की अल्पावधि में ही आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को स्थानान्तरणाधीन मानते हुए अपीलार्थी के स्थान पर अनुचित रूप से समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया है, जिसे अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई और अधिकरण द्वारा दिनांक 19.10.2022 के द्वारा उक्त आदेश की क्रियान्विति को स्थगित किया गया, परंतु स्थगन आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि अपीलार्थी का नियमानुसार नए सिरे से प्रत्यर्थी विभाग यदि स्थानान्तरण करता है तो उसमें यह स्थगन आदेश बाधक नहीं होगा और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नवीन स्थानान्तरण आदेश दिनांक 05.11.2022 जारी किया गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को दोसारा फागी, जयपुर में पदस्थापित किया गया है। आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 की क्रियान्विति को स्थगित इसलिए किया गया था कि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी को स्थानान्तरणाधीन दर्शाते हुए समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया था। परंतु विभाग को अपीलार्थी के संबंध में नवीन स्थानान्तरण आदेश जारी करने की स्वतंत्रता भी दी गई थी, जिसके क्रम में विभाग

द्वारा अपीलार्थी के संबंध में नवीन स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया है। इस प्रकार अपील संख्या 165/2023 में आलोच्य आदेश दिनांक 05.11.2022 अपास्त किए जाने योग्य नहीं है। अपील संख्या 5552/2022 में आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 की क्रियान्विति को इस आधार पर स्थगित की गई थी कि निजी प्रत्यर्थी को स्थानान्तरणाधीन दर्शाते हुए अपीलार्थी के स्थान पर समंजित किया गया था, जो उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार अपील संख्या 5552/2022 स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील 165/2023 बलहीन एवं सारहीन होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है एवं अपील संख्या 5552/2022 में आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है। अधिकरण द्वारा अपील संख्या 165/2023 में जारी स्थगन आदेश दिनांक 11.01.2023 का प्रावकाश (vacate) किया जाता है एवं अपील संख्या 5552/2022 में जारी स्थगन आदेश दिनांक 19.10.2022 की पुष्टि (confirm) की जाती है। उक्त दोनों अपीलें अंतिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 5552/2022 योगेश उपाध्याय बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 165/2023 योगेश उपाध्याय में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य